**आदेश 38, नियम 5 सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि प्रतिवादी के इस वाद को प्रतिवादी के विरुद्ध.................. रुपये के बराबर होने वाले किराये की वसूली के लिए इस वाद संस्थित किया है।
2. यह कि आवेदक वाद विनिश्चय कर दिये जाने तक ....................... रुपये के विस्तार तक लम्बित वाद किराया का भी दावा किया है। वाद के खर्च को सम्मिलित कर संपूर्ण डिक्रीत रकम...................रुपये (लगभग) होगी।
3. यह कि वादी को इस आदरणीय न्यायालय की अधिकारिता के अन्दर स्वयं अपनी किसी स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा नहीं दिया जाता है।
4. यह कि वादी ने विश्वसनीय ढंग से यह सीखा है कि प्रतिवादी की उस स्थावर सम्पत्ति के एक भाग का व्ययन करने की संभावना है और वह डिक्री के निष्पादन को बिलम्बित करने की आशय से इस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय परिसीमाओं से शेष को हटाने वाला है जो उसके विरुद्ध पारित की जा सकेगी।
5. यह कि मान ले प्रतिवादी उसकी जंगम सम्पत्ति के एक भाग का व्ययन करता है तो आवेदक/ वादी प्रतिवादी से प्रतिवादी से डिक्रीत रकम वसूलने में समर्थ नही होगी।
6. यह कि उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में एक शपथपत्र एक शपथपत्र द्वारा इस आवेदनपत्र के साथ-साथ दाखिल किया जा रहा है।
7. यह कि यह न्याय के उद्देश्य में समीचीन है कि इस आवेदन पत्र इस साथ उपाबंध किये गये उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिवादी की होने वाली चल सम्पत्तियों की कुर्की कर दी जाय और उसकी वर्तमान वाद के विनिश्चय कर दिये जाने तक कुर्की की जाती है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह अति सादरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी को...................रुपये के विस्तार तक प्रतिभति देने का निर्देश दिया जाय और न्यायालय के निपटारे पर स्थान, जब अपेक्षित हो तब आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये उपाबंध में सम्पत्ति विनिर्दिष्ट की जाय।

यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान………….**

**तारीख…………..**